पत्र सं0– 5/पी0 (नई यो0)–15/2023–242 (5)/स्वा0

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :– 3.03.2023

विषयः–वित्तीय वर्ष 2022–2024 में मुख्यमंत्री ह्रदय चिकित्सा योजना के संचालन पर व्यय हेतु कुल 97,60,000/– (सनतानबे लाख साठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022–2024 में मुख्यमंत्री ह्रदय चिकित्सा योजना के संचालन पर व्यय हेतु कुल 97,60,000/–(सनतानबे लाख साठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान प्रदान की जाती है।

2. आजकल ह्रदय से संबंधित समस्या काफी आम हो गया है। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा भी दिल के समस्या का शिकार हो रहे हैं। डब्लू0एच0ओ0 के अनुसार ह्रदय रोग से होने वाली पाँच में से चार से अधिक मौतें दिल के दौरे और स्ट्रॉक के कारण होती है, इनमें से एक तिहाई अकाल मृत्यु 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों की होती है। अभियान के तहत् शिविर के माध्यम से हृदय चिकित्सा की जाँच, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही, ह्रदय आघात के समय अपनाई जानेवाली तरीकों/जानकारी को आमजनों तक पहुँचाया जाएगा।

3. योजना का कार्यान्वयन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के माध्यम से किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत ह्रदय चिकित्सा हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कार्य योजना तैयार करते हुए सम्पादित किया जाएगा।

5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2457(26) दिनांक–31.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "झारखण्ड चिकित्सा योजना" के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के जरूरतमंद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित कार्डधारियों, जो ह्रदय संबंधी बरमारियों से ग्रसित हैं, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माह नवम्बर, 2022 में रिम्स, राँची में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में ह्रदय रोग से ग्रसित बच्चों/व्यक्तियों की चिकित्सा जॉच के क्रम में जिलों के सिविल सर्जन द्वारा व्ययित राशि तथा इस कार्यक्रम के दरम्यान व्ययित राशि के समायोजन/भुगतान हेतु 10,00,000/–(दस लाख) रूपये मात्र आवंटन की आवश्यकता है, जिसके क्रम में उक्त कार्यक्रम के लिए नियमानुसार व्ययित राशि का भुगतान इस योजना के अधीन किया जाएगा।

6. शेष राशि कुल 87,60,000/–(सत्तासी लाख साठ हजार) रू0 का व्यय मुख्यमंत्री ह्रदय चिकित्सा योजना के संचालन पर किया जाएगा।

7. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

8. योजना पर व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–(796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना)–97–शिशु स्वास्थ्य योजना–01– शिशु स्वास्थ्य योजना–07–अन्य व्यय–54–एकमुश्त प्रावधान (विपत्र कोड–20एस–2210–01–001(796 सहित)–97–01–07–54) के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
संयुक्त सचिव।

31.3.23
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

242 (5)/स्वा0
31.03.2023

9. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि का एकमुश्त हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, नामकुम, राँची के पी0एल0 खाता में करेंगे।

10. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र सं0– 2561 दिनांक– 17.04.98 एवं 1800 दि0 15.07.03 एवं समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में यथानियम सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा।

12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय, राँची एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. इस योजना का प्रत्येक माह ऑनलाईन वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

15. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–5/पी0 (नई यो0)–15/2023 242(5)/स्वा0 राँची, दिनांकः– 31.03.2023

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड, राँची।
4. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
5. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, नामकुम, राँची।
6. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
7. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची।
8. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची।
9. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
10. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
11. प्रभारी पदाधिकारी, पी0एम0यू0 कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव।	(विद्यानन्द शर्मा पंकज) संयुक्त सचिव।	(अरूण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।